दिनांक – 09 फरवरी, 2021

विषय : दिनांक 03 मार्च, 2017 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानदंड तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उप धारा (1) की खंड (ख) की उप धारा (v) के तहत मैसर्स जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड (जीटीपीएल) को निदेश

संख्या डी–2/1/(1)/2021– बी एंड सीएस(2): जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा जाएगा), जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 1997 का 24) (जिसे इसके पश्चात् भादूविप्रा प्राधिकरण कहा जाएगा), की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत कतिपय कार्यकरणों का निवर्हन करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ– साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया था ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके;

2. और जबकि, केन्द्र सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (दूरसंचार विभाग), ने अपनी अधिसूचना संख्या 39 के माध्यम से ––

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (1) की खंड (ट) के परंतुक के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया, और

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II , धारा 3 – उप धारा (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44(ई)के तहत प्रकाशित।

ने दूरसंचार सेवाओं की प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं को अधिसूचित किया है;

3. और जबकि प्राधिकरण ने एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए नया विनियामक ढ़ांचा अधिसूचित किया है, जिसमें निम्नवत को शामिल किया गया हैः–

(क) दिनांक 03 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 (जिसे इसके पश्चात् ''प्रशुल्क आदेश, 2017'' कहा जाएगा);

(ख) दिनांक 03 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् ''अंतर्संयोजन विनियम, 2017'' कहा जाएगा);

(ग) दिनांक 03 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् ''क्यूओएस विनियम, 2017'' कहा जाएगा);

4. और जबकि, अंतर्संयोजन विनियम, 2017 के विनियम 4 का उप विनियम (3), डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा लक्षित बाजार की घोषणा का उपबंध करता है, और यह निम्नवत पठित हैः–

'' (3) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र को लक्षित बाजार के रूप में घोषित करेगाः बशर्ते यह कि डिस्ट्रीब्यूटर को गैर–विभेदककारी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र को लक्षित बाजार के रूप में घोषित करने की अनुमति होगी

बशर्ते आगे कि किसी मल्टी सिस्टम आपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन आपरेटर अथवा हैड–एंड–इन–द–स्काई (एचआईटीएस) प्रचालक के लिए किसी भी मामले में लक्षित बाजार किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से बड़ी नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः विनियम के उद्देश्य के लिए, प्रत्येक हैड–एंड अथवा अर्थ स्टेशन, जैसा भी मामला हो, तथा उसके संबद्ध नेटवर्क, जिन्हें टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों का संवितरण करने के लिए उपयोग किया जाए, उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क माना जाएगा'';

5. और जबकि प्रशुल्क आदेश, 2017 की खंड 4 अन्य बातों के साथ– साथ टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा चैनलों की पेशकश के तरीके का उपबंध करता है, और उक्त खंड का संगत भाग निम्नवत पठित हैः–

''(4) टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों को एक अथवा अधिक प्रसारकों से पे– चैनलों से तैयार किए गए बुके की पेशकश करने और सब्सक्राइबर द्वारा ऐसे बुके के लिए, प्रतिमाह भुगतान किए जाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर खुदरा मूल्य को घोषित करने की अनुमति होगीः

बशर्ते कि ऐसे बुके में ऐसा कोई पे–चैनल शामिल नहीं होगा जिसके लिए प्रसारक द्वारा घोषित किया गया प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य बारह रुपये से अधिक होः

बशर्ते आगे कि पे– चैनलों के ऐसे बुके के प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य, उस बुके का भाग बनने वाले अलाकार्ट पे– चैनलों और पे– चैनलों के बुके के प्रतिमाह वितरक खुदरा मूल्य के योग का पिचासी प्रतिशत से कम नहीं होगाः

बशर्ते आगे कि टेलीजिवन चैनलों के किसी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा पेशकश किए जाने वाले पे– चैनलों के बुके का वितरक प्रतिमाह खुदरा मूल्य किसी भी स्थिति में, उस बुके का भाग बनने वाले अलाकार्ट पे– चैनलों और पे– चैनलों के बुके के, प्रसारक द्वारा घोषित किए गए, प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य के योग से अधिक नहीं होगाः

बशर्ते आगे कि ऐसे बुके में कोई फ्री टू एयर चैनल शामिल नहीं होगाः

बशर्ते आगे यह भी कि ऐसे बुके में उसी चैनल के एचडी तथा एसडी दोनों किस्में शामिल होंगी।

स्पष्टीकरण : संदेह दूर करने के उद्देश्य से, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के तहत बुके का भाग बनने वाले टेलीविजन चैनलों का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर प्रसारक द्वारा पेशकश किए जाने वाले पे– चैनलों के बुके का, डिस्टीब्यूशन स्तर पर दो अथवा दो से अधिक बुके बनाने के लिए विखंडन नहीं करेगा।'';

6. और जबकि, क्यूओएस विनियम, 2017 का विनियम 31, डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा वेबसाइट की स्थापना का उपबंध करता है, जो निम्नवत पठित हैः–

'' 31. वेबसाइट की स्थापना – (1) टेलीजिवन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, उसके द्वारा पेशकश की जाने वाली टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं की जानकारी के प्रचार तथा उपभोक्ता की जागरूकता के उद्देश्य के लिए एक वेबसाइट की स्थापना और रखरखाव करेगाः

बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों के किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसी वेबसाइट को बनाने तथा उसके प्रचालन के लिए किसी एजेन्सी की सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति होगीः

बशर्ते आगे कि इन विनियमों के उपबंधों के अनुपान का उत्तरदायित्व, टेलीजिवन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर का होगा।

(2) टेलीजिवन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, वेबसाइट के होमपेज पर ''कन्ज्यूमर कार्नर'' नाम का एक हॉयपरलिंक उपलब्ध कराएगा, जो स्पष्टरूप से दृष्यमान होगा तथा बिना 'पेज को आगे– पीछे किए' वेबसाइट पर आने वाले आगंतुकों के ध्यान में सुलभता से आएगा।

(3) उप विनियम (2) में संदर्भित ''कन्ज्यूमर कार्नर'' हॉयपरलिंक अन्य वेब पृष्ठ पर इंगित करेगा जहां इन विनियमों की अनुसूची– II के अनुरूप जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) उप विनियम (3) में संदर्भित वेब पृष्ठ में सब्सक्राइबरों द्वारा 'लॉग–इन' करने संबंधी व्यवस्था होगी ताकि इन विनियमों की अनुसूची– III के अनुरूप सब्सक्राइबर संबंधित ऐसी जाानकारी तक पहुंच बना सकें'';

7. और जबकि, प्राधिकरण द्वारा यह पाया गया था कि मैसर्स जीटीपीएल ने नए विनियामक ढ़ांचे के उपबंधों का पूर्णरूप से अनुपालन नहीं किया है, और ऐसे गैर– अनुपालन के लिए मैसर्स जीटीपीएल की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 22 अक्तूबर, 2020 का एक पत्र/ कारण बताओ नोटिस संख्या 12–23/2020–बीएंडसीएस जारी किया गया था;

8. और जबकि, पत्र/ कारण बताओ नोटिस के उत्तर में मैसर्स जीटीपीएल द्वारा उनके दिनांक 13 नवम्बर, 2020 के पत्र पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया तथा निम्नवत कारणों से उसे संतोषजनक नहीं पाया गयाः

(क) मैसर्स जीटीपीएल द्वारा वेबसाइट में एक से अधिक राज्यों को लक्षित बाजार को घोषित किया गया है, जोकि अंतर्संयोजन विनियम, 2017 के विनियम 4 के उप विनियम (4) का उल्लंघन है;

(ख) मैसर्स जीटीपीएल द्वारा तैयार किए गए पे– चैनलों के बुके की सूची तथा संरचना को डीआरपी में नहीं दर्शाया गया है, जोकि प्रशुल्क आदेश, 2017 की खंड 4 की उप खंड (4) और क्यूओएस विनियम, 2017 के विनियम 31 के उप विनियम (3) के साथ पठित उक्त विनियमों की अनुसूची–II की प्रविष्टि 1(ङ) का उल्लंघन है;

9. इसलिए, अब, प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 1997 का 24) की धारा 13 के साथ पठित धारा 11 की उप धारा (1) की खंड (ख) की उप खंड (v) के तहत अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैसर्स जीटीपीएल को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017, और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानदंड तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के उपबंधों का अनुपालन करने, और इस निदेश के जारी किए जाने की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निदेश देता है, ऐसा नहीं किए जाने पर मैसर्स जीटीपीएल के विरूद्ध मौजूदा विनियामक उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(देवेंन्द्र द्विवेदी)
संयुक्त सलाहकार (बीएंडसीएस)

प्रेषिति,

श्री अनिरूद्ध सिंह जडेजा,
प्रबंध निदेशक
मैसर्स जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड
क्रॉस रोड, सिंधु भवन रोड,
बोडाकदेव, अहमदाबाद (गुजरात)
पिन– 380059